

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां
 प्रकरण संख्या 38/21 दायरा दिनांक 01/09/2021
 पीठासीन अधिकारी - श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1. थानसिंह उम्र 44 वर्ष पुत्र बाबू जाति किराड निवासी पीपलखेडी तहिल शाहावाद जिला बारां राज.
2. कंचनलाल उम्र 32 वर्ष पुत्र बाबू जाति किराड निवासी पीपलखेडी तहिल शाहावाद जिला बारां राज.
3. सुशीला उम्र 46 वर्ष पुत्री बाबू जाति किराड निवासी पीपलखेडी तहिल शाहावाद जिला बारां राज.
4. कमलेश उम्र 48 वर्ष पुत्री बाबू जाति किराड निवासी पीपलखेडी तहिल शाहावाद जिला बारां राज.
5. हरबो उम्र 70 वर्ष बेवा बाबू जाति किराड निवासी पीपलखेडी तहिल शाहावाद जिला बारां राज.

- वादीगण

बनाम

1. भोगीलाल उम्र 80 वर्ष पुत्र बृजलाल जाति किराड निवासी पीपलखेडी तहिल शाहावाद जिला बारां राज.
2. रामचरण उम्र 67 वर्ष पुत्र बृजलाल जाति किराड निवासी पीपलखेडी तहिल शाहावाद जिला बारां राज.
3. मांगीलाल उम्र 62 वर्ष पुत्र बृजलाल जाति किराड निवासी पीपलखेडी तहिल शाहावाद जिला बारां राज.
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राज. काश्त. अधि. 1955

अंतिम निर्णय दिनांक- 15.04.2024

उपस्थित - श्री चन्द्रमोहन बर्मा एडवोकेट (वादीगण)
 श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट (प्रतिवादी 2 व 3)
 एकपक्षीय प्रतिवादी कम 1

वादीगण तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर दिनांक 04.07.2022 को वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपलखेडी तहसील शाहावाद स्थित आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 4.10 बीघा, खसरा नंबर 225 रकबा 5.00 बीघा, खसरा नंबर 312 रकबा 11.19 बीघा, खसरा नंबर 314 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नंबर 323 रकबा 1.18 बीघा, खसरा नंबर 365 रकबा 7.10 बीघा, खसरा नंबर 376 रकबा 62.06 बीघा, खसरा नंबर 380 रकबा 2.00 बीघा, खसरा नंबर 386 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नंबर 441 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नंबर 467 रकबा 3.00 बीघा कित्ता 11 कुल रकबा 101.08 बीघा में से वादीगण हिस्सा 1/4 का विभाजन अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर किया जाकर बरूह प्राथमिक डिक्री तहसीलदार शाहावाद से विभाजन प्रस्ताव मंगाये जाने के आदेश जारी किये गये थे। इस न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक

15/04/2024
 उपखण्ड अधिकारी
 शाहाबाद

निर्णय/डिकी दिनांक 04.07.2022 की पालना में तहसीलदार शाहावाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया, जो निम्न प्रकार है -

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	भूमि वर्गीकरण	लगान
1-	थानसिंह कंचनलाल पुत्र बाबू	80	- 1.02	दक्षिणी बा.2	0.66
	सुशीला कमलेश पुत्री बाबू हरबो	255	- 1.05	पश्चिमी डांडा	0.12
	पत्नि बाबू हि.ब. जाति किराड	312	- 3.00	दक्षिणी डांडा	0.30
	रहन हि. थानसिंह कंचनलाल	314	- 0.01	दक्षिणी डांडा	0.01
	कमलेश सुशीला का बी आर के	323	- 0.10	दक्षिणी डांडा	0.05
	जी बी साखा केलवाडा	365	- 1.18	दक्षिणी बा.3	0.85
		376	- 15.12	पूर्वी बा.2	9.36
		380	- 0.10	पूर्वी बंजड	0.13
		386	- 0.03	पश्चिमी खेडा 2	0.19
		441	- 0.13	मध्य खेडा 2	0.85
		467	- 0.15	मध्य बा. 3	0.34

किता 11 - कुल रकबा 25.09 बीघा 12.86


क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	भूमि वर्गीकरण	लगान
1-	भोगीलाल रामचरण मांगीलाल पुत्र	80	- 3.08	दक्षिणी बा.2	2.04
	बृजलाल हि.ब. जाति किराड	255	- 3.15	पूर्वी डांडा	0.38
	सा. देह रहन रामचरण का हि.	312	- 8.19	उत्तरी डांडा	0.90
	एच डी एफ सी साखा बारां	314	- 0.02	उत्तरी डांडा	0.01
	रहन मांगीलाल का हि.	323	- 1.08	उत्तरी डांडा	0.14
	एसबीबीजे साखा केलवाडा	365	- 5.12	उत्तरी बा.3	2.52
		376	- 46.14	पश्चिमी बा.2	28.02
		380	- 1.10	पश्चिमी बंजड	0.38
		386	- 0.09	पूर्वी खेडा 2	0.58
		441	- 1.17	- खेडा 2	2.40
		467	- 2.05	- बा. 3	1.01

किता 11 - कुल रकबा 75.19 बीघा

उक्त विभाजन प्रस्ताव का उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा अवलोकन किया गया और कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपलखेडी तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 4.10 बीघा, खसरा नंबर 225 रकबा 5.00 बीघा, खसरा नंबर 312 रकबा 11.19 बीघा, खसरा नंबर 314 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नंबर 323 रकबा 1.18 बीघा, खसरा नंबर 365 रकबा 7.10 बीघा, खसरा नंबर 376 रकबा 62.06 बीघा, खसरा नंबर 380 रकबा 2.00 बीघा, खसरा नंबर 386 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नंबर 441 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नंबर 467 रकबा 3.00 बीघा किता 11 कुल रकबा 101.08 बीघा में से

04.07.2022
उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद

वादीगण हिस्सा 1/4 का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव उक्तानुसार विभाजन किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। तदनुसार अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।


15/04/2024
उपरखण्ड अधिकारी
उपरखण्ड अधिकारी
शाहावाद